SPEED POST/OUT TODAY/
MOST URGENT

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, NEW DELHI
(RTI BRANCH, DTTE), Email:- piohqtte@gmail.com)

F.No. F.2 (16)/2006/RTI/TTE/ID No.**5358/** 1114-15 Dated: 17/11/23

To

Sh. Sikander Arya ,
House No. A-229, 230 2nd Floor,
Sector-2, Rohini,
Delhi- 110085
Mobile No. 8800365704

Sub: Supply of information Under RTI Act-2005.

Sir,

Please refer to your application vide ID NO. 5358 dated 26/10/23 addressed to the undersigned under Right to Information Act 2005. The reply/information received from Section Officer(Vigilance) dated 15/11/23 whose assistance was sought u/s 5(4) of RTI Act 2005 in the capacity of the deemed PIO is **enclosed.**

As per provisions of the RTI Act, 2005 u/s 19 (1), if you are not satisfied, you may file an appeal to the Ist Appellate Authority within 30 days from receipt of this letter. The details of First Appellate Authority is as under:-

Sh.A.N.Gaur, Deputy Director(Admn.)
The First Appellate Authority,
Department of Training & Technical
Education, Room No.2, Ground Floor,
Pitampura, Delhi- 110034.
Ph. No. 20871214
E-Mail ID- aoadmndtte1@gmail.com

17/11/23

(SANJEEV KUNDU)
PIO (RTI) DTTE

Copy for information to:-

1. The System Analyst (Computer Branch), DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of RTI application is also enclosed).

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION

MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI110034.
[E-II Branch, Room No. 203, email:- ngbranchdtte@gmail.com]

F. 2(16)/2023/RTI Reply/E-II/TTE/ 2360 Dated : 07 /11/2023

को,
पीआईओ **(**आरटीआई**),**
डीटीटीई**,** दिल्ली।

<u>विषय:- श्री सिकंदर आर्य, ए-229, 230, द्वितीय तल, सेक्टर-2, रोहिणी, दिल्ली-110085 द्वारा दायर आरटीआई आवेदन डीटीटीई आईडी नंबर 5358 दिनांक 26.10.2023 का उत्तर। ।</u>
महोदय,

ऊपर उद्धृत विषय पर आपके पत्र संख्या एफ**.2 (16)/2006**/आरटीआई/टीटीई/आईडी संख्या **5358/1051-53** दिनांक **27.10.2023** के संदर्भ में। कृपया शाखा में उपलब्ध जानकारी के साथ ई**-II** शाखा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नीचे संलग्न करें**:**

क्रम सं..	**जानकारी मांगी गई**	**जानकारी प्रदान की गई**
1	जानकारी क्रमांक अनुसार। क्रमांक **10, 12, 13**	स्थानांतरण और पोस्टिंग प्रशासनिक निर्णय हैं और सक्षम प्राधिकारी यानी निदेशक, टीटीई के अनुमोदन से किए जाते हैं।
2	जानकारी क्रमांक अनुसार। क्रमांक **1** से **9, 11, 14** से **20**	आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी इस शाखा से संबंधित नहीं है।

आपका विश्वासी,

सुमन लता त्यागी

(सुमन लता त्यागी)
अनुभाग अधिकारी (ई-द्वितीय)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG: PITAMPURA, DELHI
(VIGILANCE BRANCH Ph. 20871207)

F.3(1288)/Misc./RTI/Vig./DTTE/2021/ 1394 Dated: 15/11/2023

To

The APIO (RTI),
DTTE (HQ),
Muni Maya Ram Marg,
Pitampura, Delhi.

Sub: RTI Application ID No. 5358 dated: 27/10/2023 filed by Sh. Sinkander Arya.

Kindly refer to your office letter No F.2(16)/2006/RTI/TTE/ID No. 5358/1051-53 dt: 27/10/2023 on the above noted subject. In this regard, I am directed to provide the requisite information as under:-

S. No	Information sought	Information provided as per available records in this branch
1	Information as per Sl. No. 1 to 20 of RTI application dated: 09.10.2023	The appellant, vide his RTI application in question, is seeking answers to his questions, which does not fall within the definition of 'information' as per Section 2(f) of the RTI Act, 2005. May also refer to the decision of the Hon'ble Bombay High Court at Goa in the matter of Dr. Celsa Pinto vs. Goa State Information Commission (W.P. No. 419 of 2007, decision dated 03.04.2008) wherein it was held as follows: *"The definition of information cannot include within its fold answers to the question "why" which would be same thing as asking the reason for a justification for a particular thing. The public information authorities cannot expect to communicate to the citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification because the citizen makes a requisition about information. Justifications are matter within the domain of adjudicating authorities and cannot properly be classified as information."* In view of the above, under the provisions of the RTI Act, only such information as is available and existing and held by the public authority or is under control of the public authority can be provided. The PIO is not supposed to create information that is not a part of the record. He is also not required to interpret information or provide clarification or furnish replies to hypothetical questions.

Yours faithfully,

(ANIL KUMAR)
S.O (VIG.)

12 No. 5358
dt. 26/10/23

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी,
प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग
मुनी माया राम मार्ग, पीतम पुरा
दिल्ली-110034

विषय - सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत जानकारी ।

मान्यवर,

कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्रदान की जाये।

1. सरिता (CDV) जों Sir C.V Raman ITI Dheepur में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत है। उसके शिकायत पत्र विषय मानसिक दबाब बनाकर झूठे दिलासे देकर पक्षपात करने हेतु दिनांक 22.06.2023 । इस शिकायत पत्र में मेरे उपर कोई यौन शोषण के आरोप नही लगाये गये है तो मेरे उपर 2nd I.C.C.बनाकर कार्यवाही क्यों की जा रही है।
2. मेरा वर्क प्लेस दिनांक 23.02.2023 से आई.टी.आई. जाफरपुर है तो मेरे विरूद मेरे वर्क प्लेस से बाहर कार्यवाही क्यों की जा रही है जबकि POSH ACT 2013 में वर्क प्लेस से बाहर ICC बनाकर कार्यवाही का कोई प्रावधान नही है।
3. शिकायत पत्र दिनांक 26.06.2023 से पिछले 30 दिनो में मेरे कार्य स्थल पर मेरे विरूद कोई शिकायत नही है तो यह कार्यवाही POSH ACT 2013 के तहत क्यों की जा रही है।
4. अभी तक पत्र दिनांक 22.06.2023 के सम्बन्ध में कोई ठोस सबूत क्यों नही दिये गये है।

5. POSH ACT 2013 के अनुसार वादी / प्रतिवादी किस स्थिति में Court /Tribunal जा सकते है।

6. जिस शिकायत पर पहले ICC रिपोर्ट दी जा चुकी है। क्या उसी शिकायत के आधार पर दोबारा 2nd I.C.C.बनाकर दोबारा POSH ACT 2013 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है यदि हॉ तो कृप्या बताये ऐसा POSH ACT 2013 में कहॉ लिखा है।

7. आर.टी.आई. के अन्तर्गत मेरी पूर्व अनुमति के बिना मेरा नाम व मेरे से सम्बन्धित व्यक्तिगत जानकारियॉ आर.टी.आई. ऐपलीकेशन आई.डी. नः 5337 दिनांक 16.08.2023 में क्यों दी गयी। कृप्या बताये।

8. सरिता (CDV) के द्वारा व्यक्तिगत सूचनायें चोरी करने की शिकायत देने के बाद आपके द्वारा सरिता के विरूद क्या कार्यवाही की गई। जानकारी दी जाये।

9. क्या ICC रिपोर्ट, आई.टी.आई.धीरपुर से प्राप्त होने के बाद 60 दिनों में लागू की गई या नही । जानकारी प्रदान की जाये।

10. Sir C.V Raman ITI Dheepur में कार्यरत राज कुमार CI (MMV) व राजेश्वर प्रसाद CI(RAC) व अन्य के विरूद सरिता CDV के द्वारा जान का खतरा जैसे आरोप लगाने के बाद उनका ट्रांसफर क्यों नही किया गया और मेरा ट्रांसफर बिना कोई ठोस सबूतो के आधार पर मेरे घर से 31 Km. दूर क्यों कर दिया । (Rohini to ITI Jaffarpur)

11. राज कुमार CI (MMV) व राजेश्वर प्रसाद CI(RAC) व अन्य के विरूद सरिता CDV के द्वारा जान का खतरा जैसे आरोप लगाने पर उनके विरूद क्या कार्यवाही की गई। ब्यौरा दिया जाये। यदि नही की गई तो क्यों, सर्म्पूण जानकारी दी जाये।

12. क्या मेरा ट्रांसफर मेरे घर के नजदीक नही किया जा सकता था यदि नही तो क्यों, घर के नजदीक ट्रांसफर न करने का आधार बताया जाये। जबकि मेरे घर के नजदीक आई.टी.आई. मंगोल पुरी व आई.टी.आई. जहॉगीरपुरी है।

13. मैने सरिता CDV, ईशाक खान (Sr. Assistant) के विरूद भी अपराधिक षडयंत्र की शिकायत की थी। तब भी इनका ट्रांसफर क्यों नही किया गया। ट्रांसफर न किये जाने के कारण इन्होने लगातार मेरे विरूद षडयंत्र रचे है।

14. 2nd I.C.C. के द्वारा दिनांक 03.10.2023 को प्रदान की गयी शिकायत पर यह रिर्माकस लिखा था *"Forward to Concerned ICC of Institute by S.O. (Vig)."* Dated 17-03-2023 तो यह शिकायत की कापी, जिस पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है और ICC-Ist ने रिपोर्ट जमा कर दी हैं, तब भी मुझे यह कापी क्यों दी गयी। इसे जॉच से अलग क्यों नही किया गया, सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

15. क्या सरिता CDV के द्वारा जॉच के विरूद कोई अपील की थी। यदि हॉ तो कॉपी क्यों नही दी गई, यदि नही तो दोबारा पिछले आरोपो पर 2nd I.C.C. क्यों गठित की गयी। क्या आपको नही लगता कि यदि सरिता CDV समझौते से संतुष्ट नही थी तो उसे Court /Tribunal में Appeal करनी चाहिये थी, यदि नही तो क्यों।

16. क्या विभाग के द्वारा बिना किसी यौन शौषण के आरोपो के बाद भी दोबारा 2nd ICC बनाना उचित निर्णय था, यदि हॉ तो उचित कारण बताया जाये।

17. क्या कभी सरिता (CDV) से I.C.C. के द्वारा जॉच के दौरान पत्र लिखकर सरिता से सबूतों को मॉगा गया। यदि हॉ तो कब, पत्र की कापी दी जाये, यदि नही तो क्यो कारण बताया जाये।

18. समझौता पत्र दिनांक 19.06.2023 के समय जो भी अधिकारी उपस्थित थे उनका समझौते के पक्ष में क्या कहना है इसकी लिखित कापी दी जाये।

19. मनीषा शर्मा (NGO) जो समझौते के समय दिनांक 19.06.2023 उपस्थित थी उनके द्वारा भी समझौते के पक्ष में क्या कहना है उसकी लिखित कापी दी जाये।

20. ICC Report (Ist) के आधार पर सरिता के विरूद कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किये जाने के बाद भी विभाग द्वारा इस विषय में कार्यवाही करना कितना उचित है। जानकारी दी जाये।

धन्यवाद ,

प्रार्थी

पोस्टल आर्डर नः 57एफ 442494

दिनांक 09.10.2023

(सिकन्दर आर्य)

मो-8800365704

पता A-229, 230 2nd Floor,

Sector-2, Rohini,

Delhi-110085.